लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड १, १९६२/१८८४ (शक)

[१६ से २७ अप्रैल, १९६२/२६ चैत्र से ७ वैशाख, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated....18/X/23...

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation 14-5-92
Fumigated On 3.12.83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड १ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक-सभा

मंगलवार, १७ अप्रैल, १९६२

२७ चैत्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा साढ़े चार बजे समवेत हुई

[सामयिक अध्यक्ष (डा० गोविन्द दास) पीठासीन हुए ।]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

अध्यक्ष महोदय : कल जिन्होंने शपथ नहीं ली, वे आज यहां आकर शपथ ले सकते हैं ।

श्री हुमायून् कबिर (बसिरहाट)

श्री अशोक कु० सेन (कलकत्ता पश्चिमोत्तर)

श्री त्रिसुल सूर्यनारायणन मूर्ति (अनकापल्लि)

श्री हेम बरुआ (गौहाटी)

श्री राजेन्द्रनाथ बरुआ (जोरहाट)

श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका (गोड्डा)

श्रीमती रामदुलारी देवी (पटना)

श्री धर्मलिंगम् (तिरुवन्ना मलाई)

श्री गोपाल स्वामी थेनगौडर (नागपट्टिनम्)

श्री जोकीम आल्वा (कनारा)

श्री यज्ञ नारायण सिंह (सुन्दरगढ़)

श्री लक्ष्मी नारायण भंज देव (क्योंझर)

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर)

श्री रणंजय सिंह (मुसाफिर खाना)

श्री राव कृष्ण पाल सिंह (जलेसर)

श्री रामगोटी वन्ध्योपाध्याय (बांकुरा)

श्री अतुल्य घोष (आसनसोल)

श्री शाम नाथ (चांदनी चौक)

अध्यक्ष महोदय : यदि अभी कोई और ऐसे सदस्य रह गये हों जिन्होंने शपथ न ली हो, तो वे वे भी आ सकते हैं। कोई नहीं रह गये।

अध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सत्य नारायण सिंह अपना प्रस्ताव पेश करें।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि इस सभा के सदस्य, सरदार हुक्म सिंह को इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

श्री मनीराम (हिसार) : प्रस्ताव को हिन्दी में भी रखिये।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं इसे हिन्दी में रखता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, सरदार हुक्म सिंह को इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

अध्यक्ष महोदय : श्री बे० गोपाल रेड्डी प्रस्ताव का अनुमोदन करें।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ।

प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, सरदार हुक्म सिंह को इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हों वे 'ना' कहें।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम) : चूंकि कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं है इसलिये उनको सर्व-सम्मति से निर्वाचित घोषित किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान के अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत हो चुकने के बाद ही अध्यक्ष निर्वाचित माना जाता है। मैं फिर वोट लेता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, सरदार हुक्म सिंह को इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं घोषित करता हूं कि सरदार हुक्म सिंह विधिवत् इस सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब मैं बड़े हर्ष से सरदार हुक्म सिंह को अपना स्थान-ग्रहण करने के लिये आमंत्रित करता हूं।

[प्रधान मंत्री और श्री अ० क० गोपालन सरदार हुक्म सिंह को अध्यक्ष पीठ तक ले गये।]

अध्यक्ष का अभिनन्दन

†**अध्यक्ष महोदय (सरदार हुक्म सिंह) पीठासीन हुए।**

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री।

†**प्रधान मंत्री और सभा के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं अपनी ओर से और इस सभा की ओर से आपको अत्यंत सम्मान के साथ अध्यक्ष का आसन ग्रहण करने पर बधाई देता हूं। आपको

---

†मूल अंग्रेजी में

बधाई देते समय मुझे लग रहा है कि इसके लिये शायद हमें अपने आपको बधाई देना चाहिये। शायद वही अधिक उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इस उच्च आसन के लिये आपका सर्वसम्मति से निर्वाचित होना हम सभी के लिये विशेष हर्ष का विषय है। वास्तव में हम आपके कार्य से सर्वथा अपरिचित नहीं हैं। हमने एक लम्बे अर्से तक आपको इस आसन पर बैठकर कार्य करते देखा है। और उस अनुभव के आधार पर हम आश्वस्त होकर आज आपके निर्वाचिन का स्वागत कर रहे हैं।

प्रश्न केवल इतना नहीं है कि हमने इस उच्च आसन के लिये कोई अच्छा और योग्य व्यक्ति चुना है। इसके लिये आपका निर्वाचन इससे कुछ अधिक है। इस लिये कि आप हम सभी सदस्यों से अधिक इस सभा की गरिमा, इसकी प्रतिष्ठा और समूचे सदन के सम्मिलित विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सभा कई मायनों में देश का इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यह वास्तव में लोक सभा ही है; और यह पिछल पन्द्रह वर्ष के इतिहास का ही नहीं, लोकतंत्र की हमारी समूची परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि यों कहिये कि कुछ अन्य देशों की संसदीय सरकारों की परम्पराओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। पन्द्रह वर्षों के इस इतिहास में जनता के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विशेष अधिकारों से राजे-रजवाड़ों की शक्ति से और जनता की प्रभुता को कम करने की हर कोशिश से लोहा लिया है और अन्त में जनता की सम्पूर्ण प्रभुता स्थापित करने में सफलता पाई है।

हम भारतीय जनता की उसी सर्वोच्च और सम्पूर्ण प्रभुता की परम्परा का प्रतिनिधित्व यहां इस सभा में कर रहे हैं, उसी परम्परा के अनुसार हम सभा में बैठते हैं और इस प्रकार आप केवल इस सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा का ही नहीं भारतीय जनता की सम्पूर्ण प्रभुता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

हमारा भारत देश विविधताओं से परिपूर्ण है। इस महान देश की अपनी महान परम्परायें बनी हुई हैं, हमारे अतीत की परम्परायें महान हैं और अब हम नयी नयी दिशाओं में अपने कदम बढ़ा रहे हैं हमारे देश में विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों पर अमल करने वाले लोग हैं। हमारे यहां अल्पसंख्यक भी हैं। और इसी तरह के कई समुदाय हैं। इसलिये इस सभा पर एक बड़ा दायित्व आ जाता है। हमें भारत के सभी लोगों को एक ही सांचे में ढालना है। पूरे देश का एक अपना व्यक्तित्व बनाना है, निखारना है। मतलब यह कि भारत के सभी समुदायों के लोगों की अपनी विशेषतायें भी बनी रहें, यह सभा उनको अपनी अपनी विशेषतायें बनाये रखने का अवसर दे, इस में उन की सहायता करे और साथ ही देश की एकता भी बनी रहे। वे सभी-सभी साथ-साथ भारतवासी भी बने रहें, अपने को भारतीय महसूस करें।

इसलिये हमें अपने जीवन में भारतीय जनता को आम तौर पर और भारतीय जनता की प्रतिनिधि इस सभा को खास तौर पर इस समस्या को हल करना पड़ेगा। हमें भारतीय जनता की अनेकता, उनकी विभिन्न परम्पराओं को बनाये रखते हुए, उनके विविध रीति-रिवाजों और सांस्कृतियों को बनाये रखते हुए, उन की सारभूत एकता बनाये रखनी है। हमें अनेकता को अक्षुण्य रखते हुए एकता पैदा करनी है। इसलिये कि बुनियादी एकता के बिना न तो प्रगति हो सकती है और न वास्तविक प्रभुता ही कायम रह सकती है। इसलिये कि प्रभुता का आधार केवल इतना नहीं रहता कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार की रक्षा करे, बल्कि उस में यह भी शामिल है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के अधिकारों की कद्र करे और इस प्रकार सभी के सामान्य अधिकार सुरक्षित रहें।

इसलिये आज आप के आसन ग्रहण करते समय, इस सभा के अधिकारों और इस प्रकार देश के करोड़ों लोगों के अधिकारों के संरक्षक का यह आसन ग्रहण करते समय, मैं इस सभा की ओर से आपका

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ही नहीं, आप जिस संस्था के आज प्रधान बने हैं उसका भी स्वागत करता हूं । यह एक ऐसी संस्था है जिस को अपनाने के लिये जनता में थोड़ी परिपक्वता अपेक्षित होती है। और देखा जाये तो प्रत्येक संस्था तभी पनप पाती है जब उसे खड़ी करने वाले लोग दिमागी तौर पर परिपक्व होते हैं और संस्था के लिये अपनी परिपक्वता का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। अन्त में यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक संस्था की सफलता का दारोमदार सामान्य जनता की मानसिक परिपक्वता पर ही होता है । हम ने स्वतन्त्र होने के बाद के इन वर्षों के दौरान किस तरह काम किया है, इस सभा ने किस तरह काम किया है, हम ने मानसिक परिपक्वता से काम किया है या नहीं, यह तो एक ऐसा प्रश्न है जिस का निर्णय इतिहास ही कर सकेगा । एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि इतिहास ने पन्द्रह वर्ष के दौरान किये गये हमारे काम पर अपना निर्णय दे दिया है। जो भी हो, हमारे देश में अभी अभी एक इतने बड़े पैमाने पर चुनाव हो कर चुके हैं, कि उस पर संसार के सभी देशों की आंखें लगी थीं और उन सभी ने हमारे चुनावों की प्रशंसा की है । उन चुनावों में ही हमारी यह नयी संसद चुनी गयी है और हम यहां आये हैं ।

संसदीय सरकार की यह प्रणाली हमारे देश में काफी सफल रही है केवल यहां इस सभा में, इस के काम करने के तरीके में ही खास तौर से नहीं, बल्कि समूचे देश में । अब संसदीय प्रणाली गांवों में फैलती जा रही है और लाखों करोड़ों लोगों के दिमागों में घर करती जा रही है । यह सफलता हमें दूसरे देशों के तरीकों की नकल करने के कारण ही नहीं मिली है । हमने दूसरे देशों से भी लेकर इस में कुछ चीजें शामिल की हैं उन के तौर तरीके और नियम-विनियम, इत्यादि अपनाये हैं । लेकिन हमने बुनियादी तौर पर उन को अपने ही ढंग से, अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर ही अपनाया है । हमने उनको अमल में लाते समय एक दूसरा ही रूप दे दिया है । और इस प्रकार हमने संसदीय सरकार को अपने हालात के मुताबिक बना लिया है, उसे एक ऐसा रूप दे दिया है जो भारत की अपनी परम्पराओं के अनुकूल है । आशा है कि हम भविष्य में भी इस बुनियादी प्रणाली पर अमल करते रहेंगे और अपने देश की परिस्थितियों के मुताबिक इस में थोड़ी बहुत रद्दोबदल करने से हिचकेंगे नहीं । बुनियादी तौर पर इसका एक ही अर्थ होता है—जनता की सम्पूर्ण प्रभुता बनाये रखना ।

संसदीय सरकार के पीछे एक अर्से से बनी हुई हमारी शानदार परम्परायें हैं । उस संघर्ष की परम्परायें हैं जो हमने विदेशी शक्ति, विशेषाधिकार और जनता के अधिकारों का हनन करने वाली सत्ता के विरूद्ध चलाया था । आज इस अवसर पर मुझे उस संघर्ष की और अपनी परम्पराओं का स्मरण हो रहा है । हम अब उनको काफी पीछे छोड़ आये हैं । अब हम केवल एक सिद्धान्त को सर्वोपरि मानते हैं—जनता की सम्पूर्ण प्रभुता को, प्रत्येक नागरिक की वैयक्तिक गरिमा और प्रतिष्ठा को, उसकी जाति या उसके किसी ऐसे विशेषाधिकार को नहीं जो उसे शक्ति और प्राधिकार प्रदान करता हो । अन्य देशों की भांति, हमारे देश में भी कुछ लोगों के पास विशेषाधिकार अभी है, और कुछ मामलों में कुछ ऐसे लोगों के पास भी है जिसका कतई कोई औचित्य नहीं है । मैं मानता हूं । पर हम उनके औचित्य को मान्यता नहीं देते और आशा है कि धीरे-धीरे उनका लोप होता जायेगा । देश में व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ-साथ उसकी चेतना बढ़ने के साथ-साथ, वे अनुचित किस्म के विशेषाधिकार खत्म होते चले जायेंगे ।

पहले के इतिहास की ये सभी बातें आज मुझे याद आ रही हैं । पूरा इतिहास संघर्ष और विजय से भरपूर रहा है । इस संघर्षपूर्ण इतिहास ने ही विभिन्न देशों में, हमारे अपने देश में भी, व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के संघर्ष में विजय पाई है । उस इतिहास ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिष्ठित किया है । और इन स्वतंत्रताओं, इन अधिकारों की रक्षा, उनके संरक्षण का भार आपको सौंपा जा रहा है, आपको इस उच्च आसन के लिए

निर्वाचित करके। इसलिये विशेषाधिकारों के अनुचित हस्तेक्षेप से अपनी रक्षा के लिये हम आपकी ही ओर देखते हैं।

मैं इस सभा की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि हम पूरी निष्ठा के साथ आपके निर्णयों और निदेशों का पालन करेंगे और गलती करने पर हम आपकी दी हुई सजा को सिर-माथे पर लेंगे।

मैं इस सभा की ओर से इस उच्च पद पर आपका स्वागत करता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : डा० गोविन्द दास।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर): अध्यक्ष महोदय, इस सदन् का सब से पुराना सदस्य होने के नाते मैं आप को बधाई देना चाहता हूं। मैंने यहां पर सन् १९२३ से ही उस सारे पुराने इतिहास को देखा है जिस का कि जिक्र अभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया। सन् १९२३ में सर फ्रेड्रिक व्हाइट हमारे स्पीकर थे। वे हमारी पराधीनता के प्रतीक थे। उस के बाद यद्यपि हम स्वतंत्र नहीं हुए थे पर हम ने श्री विट्ठल भाई पटेल को अपना अध्यक्ष चुना। एक विदेशी सरकार के रहते हुए भी उन्होंने जो मुठभेड़ें उस सरकार से लीं वे आज भी हमारे सामने घूम जाती हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् हम ने यहां पर श्री मावलंकर को देखा। उन की भव्यता और वह जिस प्रकार से कार्य का संचालन करते थे वह प्रणाली भी हमारे सामने है। उस के बाद इस स्थान पर श्री अनन्तशयनम् अय्यंगार बैठे। उन में जो मृदुता थी, उन का जो व्यवहार यहां के प्रत्येक सदस्य के साथ था, वह हम कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते। अब आज उस पद पर आप आसीन हैं।

जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा यह कार्य, जो आप को सौंपा गया है, अत्यन्त महत्व का कार्य है। स्वतंत्रता के पहले मैं ने इस सदन् में पंडित मोतीलाल जी नेहरू का नेतृत्व देखा। उस के बाद आज उन के पुत्र पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का नेतृत्व देख रहा हूं। पराधीनता के समय मोतीलाल जी का नेतृत्व किस तरीके से चला और आज जवाहरलाल जी का नेतृत्व किस तरीके से चल रहा है वह मैं एक साहित्यकार के नाते मिलाया करता हूं और मुझे देख कर हर्ष होता है कि जो बातें मोतीलाल जी ने स्थापित की थीं पराधीन भारत में, उसे पंडित जी ने स्वतंत्र भारत में किस तरह से आगे बढ़ाया है।

कई लोग उस समय के सदन के स्तर की बात किया करते हैं। इस में कोई शक नहीं कि उस समय यहां पर पंडित मोतीलाल जी थे, पंडित मदनमोहन मालवीय जी थे, लाला लाजपत राय थे, कायदे आजम जिन्ना थे। बड़े बड़े आदमी यहां पर थे और यहां का स्तर ऊंचा था परन्तु उस समय उस ऊंचे स्तर के रहते हुए भी यह सदन एक डिबेटिंग सोसाइटी के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। आज का इस का स्तर उस प्रकार का है जैसे कि स्वाधीन भारत है और जिस तरह के व्यक्ति स्वाधीन भारत में रहते हैं। बालिग मताधिकार से व्यक्ति यहां पर चुन कर आते हैं और हमें इसका गर्व है कि संसार का सब से बड़ा प्रजातंत्र हम ने स्थापित किया है। इस प्रजातंत्र की सब से प्रमुख सभा यह लोकसभा है और इस लोक-सभा के अध्यक्ष के रूप में आप उस प्रजातंत्र के प्रतीक हैं। आप को यहां पर केवल जो सब दल हैं उन्हीं की रक्षा नहीं करनी है अपितु आप को यहां पर प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करनी है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ आप को अपनी भी रक्षा करनी है। बात यह है कि आप की कोई अपील नहीं। आप के सम्बन्ध में यदि कोई ऐसे विचार उठें जो उचित नहीं हैं तो उन बातों को हम कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। इसलिए न्याय की दृष्टि से आप को अपनी रक्षा का जो गुरुतर भार दिया गया है वह महत्वपूर्ण है, अत्यन्त

[डा० गोविन्द दास]

महत्वपूर्ण है, यह मैं आप से कहना चाहता हूं। आप को अपनी रक्षा जो करनी है वह दूसरे दलों के सदस्यों की रक्षा से भी अधिक करनी है यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

इस में स्वभाव की मृदुता जोकि श्री अय्यंगार साहब ने यहां पर दिखाई उस की सब से अधिक आवश्यकता है।

अन्त में मैं आप से एक बात और कहूंगा। मनुष्य की श्रेष्ठता उस की ज्ञान की शक्ति के कारण है। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी ज्ञान शक्ति के कारण है। इसीलिए मनुष्य जिस प्रकार की भाषा बोलता है उस प्रकार की भाषा अन्य कोई जीव नहीं बोलता। पराधीनता के समय यहां पर जो अंग्रेजी का राज्य छाया हुआ था मावलंकर जी ने उस को हटाने का प्रयत्न किया। श्री अनन्तशयनम् अय्यंगार जोकि दक्षिण से आते थे उन्होंने भी उस को हटाने का प्रयत्न किया। इसलिए आपको मनुष्य की वाणी, मनुष्य की भाषा, हिन्दी की, जिस को कि हम ने अपने संविधान में राष्ट्रभाषा और राज भाषा के पद का स्थान दिया है, उत्तरोत्तर उन्नति करनी है। इस की आशा मैं आपसे करता हूं। अन्त में मैं आपको फिर हृदय से बधाई देता हूं।

†श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : अध्यक्ष पद के लिये आपके निर्वाचन के इस प्रसन्नतापूर्ण अवसर पर मैं अपनी ओर और कम्युनिस्ट दल के संसद्-सदस्यों की ओर से आपको बधाई देता हूं। हम आपसे अपरिचित नहीं हैं। आप हम में कई सदस्यों को पिछले दस वर्ष से जानते हैं। हम भी आपको पिछली लोक-सभा के उपाध्यक्ष के रूप में भलीभांति जानते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सदा ही इस सभा के अधिकारों और विरोधी दल के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की दृढ़तापूर्वक रक्षा करेंगे और देश में लोकतांत्रिकता को दृढ़ बनाने के साधन के रूप में इस सभा को और अधिक कारगर बनाने के लिये प्रयत्नशील रहेंगे।

परन्तु एक चीज है जिसकी ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम इस अवसर पर उसका उल्लेख करने के लिये क्षमा चाहते हैं। हमें उसका बड़ा खेद है। यह कि शासक दल ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिये नामज़दगी करने से पहले विरोधी दलों से परामर्श तक नहीं किया। उचित तो यही था और अच्छा भी यही रहता कि हम से भी परामर्श कर लिया जाता। वैसे हमें आप से व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन यदि हम से परामर्श कर लिया जाता तो उस से अध्यक्ष पद की प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती।

देश में लोकतांत्रिकता को दृढ़ बनाने के लिये यह आवश्यक है कि हम नयी परम्परायें बनायें। और, नयी-नयी परम्परायें बनाने में आप का पार्ट बड़ा अहम है। इसीलिये विरोधी दल के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये हम आपकी ओर ही देखते हैं, विशेषकर इस परिस्थिति में जब यहां इस सभा में देश के मतदाताओं के निर्णय का पूरा-पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है।

मैं एक बार फिर, आपको बधाई देता हूं और विरोधी दल की ओर से आपको वचन देता हूं कि हम आपका समर्थन करेंगे और आपके साथ पूरा सहयोग करते रहेंगे।

†श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी (केन्द्रपाड़ा) : मैं इस उच्च पद पर आपका स्वागत करता हूं। सभा ने इस पद के लिये एक सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति को चुना है, इसके लिये सभा को अपने आपको भी बधाई देनी चाहिये। आप इस सभा की सर्वोत्तम परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जानते हैं कि विरोधी दल के सदस्यों को क्या-क्या कठिनाइयां और असुविधायें हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस सभा की सर्वोत्तम परम्पराओं और प्रतिष्ठा तथा गरिमा को रक्षा बड़ी योग्यता के साथ करेंगे, विशेषकर परम्पराओं और प्रथाओं की, जो देश में लोक-तांत्रिकता की परम्परा बनाने में बड़ा योग देती हैं।

मैं स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण के लिये प्रजा-समाजवादी दल की ओर से पूरे समर्थन और सहयोग का आश्वासन देता हूं।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं समाजवादी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से आपको इस के लिए बधाई देता हूं कि आप अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि परम्पराओं को रक्षा करना और नई परम्पराओं का बनाना आपका काम है और मैं आशा करूंगा कि आप इस सदन् में नई परम्पराएं कायम करेंगे और जैसे कि श्री म० अ० अय्यंगार से पहले स्वर्गीय मावलंकर जी ने इस सदन के कार्य के संचालन के लिए समय का वंटन किया था अर्थात् आधा समय सरकारी पक्ष को और आधा गैर-सरकारी अर्थात् विरोधी दलों को मिलता था उस प्रक्रिया को आप अपनायेंगे। आप इस तरह से कार्य का संचालन करेंगे जिस से कि विरोधी दल जो इस सदन में उपस्थित हैं उन को अपने विचार प्रकट करने का पर्याप्त अवसर आप द्वारा मिले ताकि वह अपने दलों की नीतियों और अपने विचारों को ठीक से रख सकें। चूंकि आप ने इस सदन में उपाध्यक्ष के पद पर कार्य किया है, इस लिए सदस्यों को यह आशा और विश्वास है कि आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस सदन को आगे बढ़ायेंगे। इस कार्य में समाजवादी पार्टी और मेरी तरफ़ से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलता रहेगा।

मैं पुनः इस अवसर पर आपको बधाई देता हूं।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** (मंदसौर) : मैं अपने दल जनसंघ की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। इस बधाई के साथ, मैं अपने दल के पूरे-पूरे सहयोग का वचन भी आपको देता हूं। आप पहली लोक-सभा से ही यहां हमारे साथ रहे हैं। आपने हमें राह दिखाई है। आप उपाध्यक्ष के रूप में भी अध्यक्ष पद की परम्पराओं को कार्यक्षमता से निभाते आये हैं, और आशा है कि इस पद पर आसीन होने के बाद और भी अधिक कार्यक्षमता से निभायेंगे।

मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूं।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** (राजमपेट) : मैं स्वतंत्र दल के सदस्यों की ओर से आपका अभिनन्दन करता हूं। संसार के सब से बड़े लोकतंत्र की अध्यक्षता करने का सौभाग्य बिरलों को ही मिलता है। आशा है कि आप अपने पूर्ववर्ती अध्यक्षों की भांति ही इस पद के कर्त्तव्य निभायेंगे।

प्रत्येक विधानमंडल में विरोधी दल का होना अत्यावश्यक है, उसके बिना विधानमंडल में जान नहीं रहती। आशा है आप विरोधी दल को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता देंगे, उनकी आवाज़ दबाई नहीं जायेगी।

हम में से कई सदस्य यहां पहली बार आये हैं। हम इसीलिये प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं और ग़लतियां करेंगे। इसलिये आशा है आप हमारे दोषों पर ध्यान न देकर हमारी ठीक ठीक रहनुमाई करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नरीसम्हा रेड्डी]

आप कई बड़े उच्च पदों पर आसीन रह चुके हैं और आपने उन सभी का दायित्व बड़ी योग्यता से निभाया है। आशा है आप उतनी ही योग्यता से इस पद का दायित्व भी निभायेंगे।

मैं इस में आपके स्वास्थ्य और विवेकशीलता की कामना करता हूं।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी (नाम-निर्देशित--आंग्ल-भारतीय)** : मैं जानता हूं कि आप इतने अनुभवी हैं कि सभा में विरोधी दलों और समूहों की बहुलता देखकर आपको कोई उलझन नहीं महसूस होगी। मैं स्वतंत्र संसदीय ग्रुप की ओर से आपको बधाइयां और सदकामनायें देता हूं। जो लोग आपको जानते हैं और जिन्होंने आप के साथ काम किया है वे सभी इस उच्च पद के लिये आपके निर्वाचन का स्वागत करते हैं।

हम आपको उपाध्यक्ष के रूप में एक अर्से से जानते हैं। आप की शिष्टता, सौजन्य और तत्परता ने आपके लिये सभी के हृदय में सम्मान ही नहीं स्नेह भी पैदा कर दिया है। मैंने एक वकील के रूप में आपकी न्यायपूर्ण निष्पक्षता और उसके साथ आपके विनोदी स्वभाव को सदा ही बहुत पसन्द किया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी सभा के विशेषाधिकारों और प्रत्येक सदस्य के विशेषाधिकारों का आप सदा ही विशेष ध्यान रखेंगे।

अन्त में, मुझे आशा है कि आप सभी दलों और समूहों के साथ बराबरी का बर्ताव करेंगे और कभी-कभी विरोधी दल के सदस्यों के साथ कुछ रियायत भी करते रहेंगे क्योंकि हमारी संख्या काफी कम है। मैं आपकी पदावधि की पूरी-पूरी सफलता की कामना करता हूं।

†**श्री मनोहरन** (मद्रास--दक्षिण) : मैं 'द्रविड़ मुनेत्र कड़गम' की ओर से इस उच्च पद के लिये आपके सर्वसम्मत निर्वाचन पर आपको अत्यन्त हर्ष और हार्दिकता के साथ बधाई देता हूं।

आप में प्रशासकीय क्षमता है और मेरा विश्वास है कि आप इस सभा में दलित और उपेक्षितों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिये विरोधी पक्ष का होना अत्यावश्यक है। उस के बिना लोकतंत्र की सफलता एक स्वप्न भर रह जायेगी। हमें पता चला है कि न्याय के इस सर्वोच्च आसन पर आसीन रह चुके हैं और आपका निर्णय अत्यन्त स्पष्ट और संयत रहता है। इसलिये हमें पूरी आशा है कि आप विरोधी दलों के सदस्यों के हितों की रक्षा करेंगे। तभी इस सभा में वास्तविक लोकतांत्रिकता रहेगी।

हम धुर दक्षिण से यहां आये हैं। हम ने आप के काम करने का तरीका देखा है। इसलिये हमें दृढ़ विश्वास है कि आप विरोधी दल के सदस्यों के हितों की अवश्य ही रक्षा करेंगे।

मैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि हम इस सभा के शिष्टाचार का पूर्णतया पालन करेंगे।

आप में विवेक, संयम, न्यायशीलता और सहिष्णुता है। मैं आपके निर्वाचन पर आपको एक बार फिर बधाई देता हूं।

†**श्री मौर्य** (अलीगढ़) : आप हमारे प्रिय, निर्विवाद नेता, आपको बधाई देते समय गर्व महसूस करता हूं। आप ने विरोधी दलों का विश्वास प्राप्त करने में सफलता पाई है। मैं

---

†मूल अंग्रेजी में

इस अवसर पर सभा का ध्यान ब्रिटिश पार्लामेन्ट में अध्यक्ष के पद की प्रतिष्ठा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वे ब्रिटिश पार्लामेन्ट की आदर्श प्रथाओं के लिये प्रसिद्ध हैं।

ब्रिटिश पार्लामेन्ट में अध्यक्ष-पद के लिये किसी के निर्वाचित होते ही, वह किसी भी दल का सदस्य नहीं रह जाता। इसलिये उसे विरोधी दलों का विश्वास प्राप्त करने में सफलता मिलती है। अध्यक्ष का आसन न्याय-पीठ है, जो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के स्तम्भों पर टिका रहता है। वह संसद् की सम्पूर्ण प्रभुता का प्रतीक होता है। वह सभा में विरोधी दलों के सदस्यों के विशेषाधिकारों और अधिकारों की रक्षा करता है।

सत्तारूढ़ दल के पास तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिये आवश्यक शक्ति होती है। वह तो कभी-कभी विरोधी दलों के हितों की कीमत पर भी अपने हितों को आगे बढ़ाता है। इसलिये उस को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

इसलिये अन्त में मेरा यही अनुरोध है कि इस निर्वाचन के साथ ही आपका अपने दल से सम्बन्ध टूट चुका है, इसलिये आप निर्दलीय व्यक्ति की भांति काम करें।

मैं अपनी ओर से और अपने 'रिपब्लिकन' दल की ओर से आपको बधाई देता हूं।

†**श्री बूटा सिंह** (मोगा) : मैं अकाली दल की ओर से आपको बधाई देता हूं। मैं आपको बचपन से देखता हूं कि आप एक अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के लिये कैसे संघर्ष करते रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उस दल का एक निर्वाचित सदस्य अभी भी जेल में है। आपके इस आसन पर आसीन होने से हमें पूरा विश्वास है कि सभा के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा होगी और सभा के बाहर भी लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आने दी जायेगी। मैं आपको एक बार फिर हार्दिक बधाई देता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं किस तरह बतलाऊं कि मैं आपका कितना कृतज्ञ हूं। एक स्थिति ऐसी आती है जब भावावेश इतना बढ़ जाता है कि दिमाग़ कुछ सोच नहीं पाता और जुबान कुछ कह नहीं पाती। मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। मेरे बारे में ऐसे-ऐसे उद्गार व्यक्त किये गये हैं और इतनी हार्दिकता मेरे प्रति दिखाई गई है। मैं इस अत्यधिक सम्मान प्रदर्शन के लिये सभा का आभारी हूं। माननीय सदस्यों ने उपाध्यक्ष की हैसियत से किये गये मेरे काम का भी उल्लेख किया है।

मैं जब इस सभा में किये अपने कार्य की बात सोचता हूं तो मुझे आपके उद्गार सुनकर आश्चर्य होता है। इसलिये कि अपने पूर्ववर्ती अध्यक्षों की महानता का ध्यान आने पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी इस सभा में नया ही आया हूं। मैं इस सभा में अप्रैल, १९४८ में आया था। उससे पहले मुझे किसी स्थानीय संस्था में भी काम करने का अनुभव नहीं था। और जब मैं ने यहां आकर सेठ गोविन्द दास जैसे सदस्यों को देखा जो इस सभा में एक पीढ़ी से भी अधिक काल से हैं, तो मैं अपने आपको बड़ा अदना सा लगा।

माननीय सदस्यों ने उपाध्यक्ष के रूप में किये गये मेरे काम की प्रशंसा की है। मैं उसके लिये आभारी हूं। मुझ से आशा की जाती थी कि मैं निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहूं। मैं ने अपनी ओर से यही प्रयत्न किया था। परन्तु निश्चय ही मैं ने कुछ ग़लतियां की होंगी, मुझ से कई जगह चूक हुई होंगी। पर मुझे संतोष है कि असफल रहने पर भी, आप ने मेरे कार्य को पसन्द किया, सभा ने मेरे प्रति उदारता दिखाई और मुझे उपाध्यक्ष पद पर कार्य करने दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

यह सचमुच मेरे जीवन का एक महान् अवसर है । मैं ने जब पहले-पहल पुस्तकों में पढ़ा कि अध्यक्ष का चुनाव होने पर उसे सभा के नेता अध्यक्ष के आसन तक ले जाते हैं तब मैं इसका महत्व नहीं समझ पाया था । आज मैं उसे समझ पाया हूं । इस उच्च पद पर मेरे निर्वाचन का जब पहले-पहल सुझाव आया था, तो मुझ अध्यक्ष के दायित्वों को देख कर बड़ा डर सा लगा कि मैं उन को निभा कैसे सकूंगा । लेकिन एक बात से मुझे बड़ा संतोष मिला कि सभा के नेता और विरोधी दल के नेता अध्यक्ष को उसके आसन पर बैठाते हैं । इसका अर्थ है कि वे अध्यक्ष को सारे सदन के समर्थन और सहयोग का वचन देते हैं । मुझे इससे बड़ा बल मिला है ।

जब मैं इस आसन पर बैठने वाले दिग्गजों के साथ अपनी तुलना करता हूं तो मैं अपने आप को बड़ा ही अदना लगता हूं । इस आसन पर श्री विट्ठलभाई पटेल जैसे अध्यक्ष बैठ चुके हैं और उन्होंने इस की परम्परायें बनाई हैं । उन के साथ अपनी तुलना करते, मुझे कुछ भय सा लगने लगता है । परन्तु मैं इस सभा में पिछले छः साल से उपाध्यक्ष के रूप में काम करता रहा हूं । और मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सभा के सदस्यों ने हर अवसर पर सभापतित्व करने वाले सदस्य को समुचित सम्मान दिया है । सभा के सदस्यों ने हमेशा ही मुझे अपना पूरा-पूरा समर्थन दिया है । मुझे सदा ही सभी सदस्यों ने बड़ी उदारता और हार्दिकता के साथ अपना समर्थन दिया है । और, आज सभा ने मेरे कंधों पर एक महान् दायित्व रख दिया है । देश का एक सब से उच्च पद मुझे सौंपा गया है । इस सभा की प्रतिष्ठा और गरिमा को देखते हुए, मैं इस पद पर आसीन होने के लिये अपने भाग्य को सराहता हूं । लेकिन दायित्वों का ध्यान आते ही, मैं घबरा उठता हूं और तब सभा के समर्थन और उसकी उदारता का ध्यान ही मुझे बल देता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने—विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने—इस सभा के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का मुझ से अनुरोध किया है । स्पष्ट है कि वह मेरा कर्तव्य है । मैं उन को यह नहीं महसूस होने दूंगा कि उन के साथ कोई अन्याय हो रहा है । वैसे लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्णय तो बहुमत द्वारा ही किये जायेंगे, नहीं तो काम ही नहीं चल सकता । लेकिन निर्णय की प्रक्रिया सामान्यतया चर्चाओं के जरिये ही आगे बढ़नी चाहिये । चर्चायें हों और सभी दृष्टिकोणों को पेश करने का अवसर दिया जाये । उसके बाद ही कोई निर्णय किया जाये । आशा है कि हम पूर्ववर्ती प्रमुख अध्यक्षों द्वारा बनाई गई परम्पराओं और प्रथाओं का पालन करने में अपने को समर्थ पायेंगे । हम इस मशाल को लेकर आगे बढ़ने में सफल होंगे ।

हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी पहुंच चुकी हैं । उसकी बड़ी मजबूत नींव डाली जा चुकी है । हम ने उस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी कर ली है । अब हमारे कंधों पर एक महान् दायित्व आ गया है । हमारे दृष्टिकोण चाहे विभिन्न हों, पर हमारी मंजिल एक है ।

हम ने कल और आज भी संविधान पर अमल करने की शपथ ग्रहण की है । हम ने संकल्प किया है कि हम अपने देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलायेंगे और उनके लिये समान अवसरों की व्यवस्था करेंगे । मुझे विश्वास है हम सभी इस मंजिल तक पहुंचने के लिये अपने हृदयों में अथाह उत्साह और स्फूर्ति लेकर यहां आये हैं ।

हमारे मार्ग विभिन्न हो सकते हैं, पर हमारी मंजिल एक है । इसलिये कई अवसरों पर हमें एक साथ, मिल कर काम करना पड़ेगा । हां, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य मामलों में हमारे बीच मतभेद होंगे । लोकतांत्रिकता और विचार-स्वतंत्रता का यही तरीका है । मतभेद रह सकते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध यही है कि ऐसे अवसरों पर हमें अपनी विजय को विनम्रता के साथ और पराजय को बिना किसी कटुता की भावना के स्वीकार करना चाहिये । हमारी चर्चाओं में कटता पैदा नहीं होनी चाहिये ।

मुझे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहना चाहिये । मैं अपनी शक्तिभर यही प्रयास करूंगा । और यदि इसमें मुझ से कोई चूक भी हो जाये तो आपको यह नहीं सोचना चाहिये मैं जानबझ कर भटक गया हूं । हो सकता है कि वह भटकाव मेरी असमर्थता के कारण आया हो ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि मुझे किसी भी दल में शामिल नहीं होना चाहिये । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जब तक अध्यक्ष रहूंगा, आप पर ऐसी कोई छाप नहीं पड़ने दूंगा, आप को ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा जैसे कि मैं किसी एक दल के साथ हूं । मैं प्रयास करूंगा कि सभी के साथ समान न्याय हो और हर मामले पर उसके गुण दोषों के अनुसार ही विचार करूं । लेकिन आदमी से ग़लतियां तो होती ही हैं । इसलिये यदि मैं कभी कोई ग़लती कर जाऊं, कोई ग़लत निर्णय दे जाऊं, तो आप यह न सोचें कि मैं जान बूझ कर भटक रहा हूं । आशा है आप उस पर उदारता से विचार करेंगे ।

हम ने सामान्य जनता के रहन सहन का दर्जा ऊंचा करने और लाखों-करोड़ों लोगों का जीवन सुविधापूर्ण बनाने का उद्देश्य अपने सामने रखा है । हम इसी उद्देश्य पर चलने, उसके लिये आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं । मैं संकल्प करता हूं कि मैं सदा ही इस सभा का एक सेवक रह कर काम करने का प्रयास करूंगा । मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी । आशा है कि मुझे इस में आप सभी का पूरा-पूरा समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा । इसी प्रकार हम अपने लोकतंत्र की इमारत को और अधिक दृढ़ बनायेंगे । और, एक दिन आयेगा जब संसार का यह सब से विशाल लोकतंत्र अन्य देशों के लिये एक आदर्श बन जायेगा ।

मैं सभा के सभी दलों के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं और उन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सभी माननीय सदस्यों के सम्मिलित अर्थात्, इस सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के साथ-साथ, सदस्यों के वैयक्तिक अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये भी सतत प्रयत्नशील रहूंगा । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे इस दायित्व को निभाने की सामर्थ्य दे ।

अब सभा की बैठक कल राष्ट्रपति के अभिभाषण तक के लिये स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १८ अप्रैल, १९६२/२८ चैत्र, १८८४ (शक) को राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधा घण्टे बाद तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, १७ अप्रैल, १९६२/२७ चैत्र, १८८४ (शक)

विषय **पृष्ठ**

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १९–२०

१८ सदस्यों ने निम्नलिखित भाषाओं में शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया :

७ ने अंग्रेजी में
४ ने हिन्दी में
२ ने तमिल में
१ ने उड़िया में
१ ने संस्कृत में
१ ने तेलगू में
१ ने उर्दू में, और
१ ने बंगला में

अध्यक्ष का निर्वाचन २०

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) ने यह प्रस्ताव किया कि इस सभा के सदस्य सरदार हुक्म सिंह को इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् प्रधान मंत्री तथा सभा के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) और श्री अ० क० गोपालन सरदार हुक्म सिंह को अध्यक्ष पीठ तक ले गये।

अध्यक्ष का अभिनन्दन २०—२९

प्रधान मंत्री तथा सभा के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) तथा कुछ अन्य सदस्यों ने सरदार हुक्म सिंह का, तीसरी लोक-सभा के अध्यक्ष के रूप में उनके निर्वाचन पर अभिनन्दन किया। अध्यक्ष महोदय ने उत्तर में सदस्यों को धन्यवाद दिया।

बुधवार, १८ अप्रैल, १९६२/२८ चैत्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण।

GMGIPND—LS III—218(Ai)LSD—23-5-62—125